शा0 वि0 कन्हैया मरकाम

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला-बालाघाट म.प्र.

<u>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 428 / 13</u> संस्थित दिनांक 05.06.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बिरसा, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

विरूद्ध

कन्हैया मरकाम पिता थानसिंह मरकाम उम्र ४८ वर्ष निवासी ग्राम अजानपुर (गढ़ी) थाना बैहर जिला—बालाघाट म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

—::दिनांक <u>08.08.2016</u> को घोषित::

ा. उक्त नामांकित अभियुक्त कन्हैया मरकाम पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 05.05.2013 को समय लगभग 11:00 बजे स्थान ग्राम जैरासी में पंचायत के सामने रोड पर अंतर्गत थाना बिरसा में लोक मार्ग पर मोटरसाइकिल क0 एमपी 50 एमडी 1406 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत भैयालाल को टक्कर मारकर उपहित कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्टेशन, बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चलाया। जो कि भारतीय दण्ड संहिता (एतिस्मन् पश्चात् भाठदं०स०) की धारा 279, 338 एवं 184, 39/192,146/196, 3/181 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

शा० वि० कन्हैया मरकाम

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भैयालाल ने दिनांक 06.05.2013 को थाना बिरसा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह उक्त दिनांक 11:00 बजे रात्रि अपने ग्राम जैरासी के झामसिंग मेरावी के घर से अपने घर जा रहा था। उसके पीछे पीछे दामांद बुद्धसिंह एवं पडोसी प्यारसिंह आ रहे थे। जैसे ही पंचायत भवन के पास पहुँचा तभी सामने से एक हीरोहाण्डा मोटरसाईकिल चालक ने अपनी मोटरसाईकिल को तेज रफतार लापरवाही चलाते हुए लाकर उसके दाहिने पैर में ठोकर मार दिया। जिससे उसे पैर तथा आंखों में चोटें आयीं। मोटरसाईकिल चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। उसका दामाद बुद्धसिंह लोहार तथा पडोसी प्यारसिंह धुर्वे उसे उठाकर घर ले आये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बिरसा में अपराध क0 56/13 धारा 279, 338 भा0दं०ंस0 पंजीबद्ध कर आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया त्तथा फरियादी भैयालाल तथा साक्षीगण बुद्धलाल, प्यारसिंह, नवलसिंह तथा अन्य के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र भां०ंद०ंस० की धारा २७७, ३३८ तथा धारा १८४, 39 / 192,146 / 196, 3 / 181 मो0यान0अधि0 के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 08.08. 2016 को फरियादी/आहत भैयालाल द्वारा आरोपी कन्हैया मरकाम से राजीनामा कर लिये जाने के कारण आरोपी कन्हैया मरकाम को भा0दं0सं0 की धारा 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 भा0द0सं0 तथा 184, 39/192,146/196, 3/181 मो0यान0 अधिनियम के संबंध में फरियादी की साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट न होने से आरोपी का अभियुक्त परीक्षण कथन अंर्तगत धारा 313 जा0फौ0 अंकित नहीं किया जा सका है।

शा0 वि0 कन्हैया मरकाम

- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
 - 1. क्या आरोपी कन्हैया मरकाम ने दिनांक 05.05.2013 को समय लगभग रात्रि 11:00 बजे स्थान ग्राम जैरासी ग्राम पंचायत के सामने रोड पर थाना बिरसा पर वाहन मोटर साइकिल कमांक एमपी 50 एमडी 1406 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
 - 4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. फरियादी / आहत भैयालाल अ०सा० 5 का साक्ष्य है कि आरोपी को जानता है। घटना उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से लगभग तीन वर्ष पुरानी शाम की 11 बजे की उसके घर ग्राम जैरासी दुकान के सामने की है। वह रास्ते पर जा रहा था उसी समय सामने से मोटर साइकिल वाहन ने उसे टक्कर मार दिया था जिससे उसे पैर में चोट आई थी। गाडी कैसे चल रहीं थी और गाडी का नंबर क्या था उसे जानकारी नहीं थी। फिर वह वह घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में लिखवाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 6 के ए से ए भाग पर उसके अंगूठा निशानी है। घटना की पुष्टि प्यारसिंह अ०सा०—3 ने की है जिसके अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व आहत भैयालाल को ग्राम जैरासी के चोबटे ने मोटरसाईकिल वाले ने टक्कर मार दी थी जो घटना के बाद भाग गया था। दुर्घटना में भैयालाल का पैर टूट गया था। उक्त साक्षी ने नजरी नक्शा प्र0पी0—1 तथा जप्ती प्रत्रक प्रदर्श पी—2 में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। परंतु

शा० वि० कन्हैया मरकाम

उक्त दस्तावेजों पर पुलिसवालों के बताये अनुसार थाने पर बैठकर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। नक्शा मौका तथा जप्ती पत्रक का अन्य साक्षी बुद्धलाल भी पक्षद्रोही रहा है तथा उसने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। घटना के अन्य साक्षी झामसिंह अ0सा0 4 तथा नवलसिंह अ0सा02 ने भी घटना से स्पष्ट इंकार किया है।

- 6. इस प्रकार किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। स्वयं आहत ने अभियुक्त द्वारा वाहन चालन से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य में ऐसी कोई भी तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट नहीं की गयी हैं जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी घटना दिनांक को घटना के समय उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था। साथ ही बीमा रजिस्ट्रेशन तथा लायसेंस के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव रहा है।
- 7. अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त कन्हैया मरकाम ने दिनांक 05.05.2013 को समय लगभग 11:00 बजे स्थान ग्राम जैरासी में पंचायत के सामने रोड पर अंतर्गत थाना बिरसा में लोक मार्ग पर मोटरसाइकिल क0 एमपी 50 एमडी 1406 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्टेशन, बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चलाया। अतः अभियुक्त कन्हैया मरकाम को भा. दं0सं0 की धारा 279 तथा धारा 184, 39/192,146/196, 3/181 मो0यान0 अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 8. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 9. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति वाहन कमांक एमपी 50 एमडी 1406 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 10. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फी0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

दिनांक -08.08.2016 स्थान – बैहर (म.प्र.)

्र 428/1 शा0 वि0 कन्हैया मरकाम मेरे निर्देष पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

ATTHER A PROPERTY AND A STATE OF STATE